न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–02 सन् 2019

सुकेश्वर सिंह...............................वादी

बनाम

अखिलेश सिंह वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 28.07.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 12 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 19.05.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी सं0 12 का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद में प्रतिवादी सं0 12 उपस्थित होकर संघर्ष कर रहे हैं। प्रस्तुत वाद से संबंधित कागजात उपलबध नहीं होने एवं प्रतिवादी सं0 12 को कानूनी पहलुओं की जानकारी नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं0 12 अपना बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब किया है। बयान तहरीरी दाखिल करने में जानबूझकर विलंब नहीं किया है। प्रतिवादी सं0 12 का बयान तहरीरी ग्राह्य होना न्यायहित में जरूरी है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी द्वारा बयान तहरीरी दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए ग्राह्य करने की कृपा प्रदान की जाए।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 28.07. 2022 को वादी की ओर से दाखिल किया गया है जिसमें कथन है कि प्रतिवादी का सवाल दिनांक 19.05.2022 किसी भी दृष्टिकोण से मान्य एवं ग्राह्य होने लायक नहीं है वो काबिल खारिज के है। प्रतिवादी जानबूझकर पहले वाद में उपस्थित होने में विलंब किया है। जब न्यायालय द्वारा एकपक्षीय आदेश होना था तब उपस्थित हुए हैं। प्रतिवादी दिनांक 25.01.2022 को उपस्थित होने के बावजूद जानबूझकर बयान तहरीरी देने में विलंब किया है। उपर की बातों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं0 12 का सवाल दिनांक 19.05.2022 में कोई कारण भी नहीं दर्शाया है कि क्या विलंब हुआ है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादी सं0 12 के तरफ से दाखिल बयान तहरीरी को खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद प्रतिवादी सं0 12 की ओर से बयान तहरीरी ग्राह्य करने हेतु दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं0 12 दिनांक 25.01.2022 को न्यायालय में उपस्थित हुए हैं परंतु अपना बयान तहरीरी दाखिल नहीं किया हैं। प्रतिवादी सं0 12 के द्वारा काफी विलंब से दिनांक 19.05.2022 को उपरोक्त वाद में बयान तहरीरी दाखिल किया है। वादी की ओर से प्रतिवादी सं0 12 के आवेदन पर विरोध किया गया है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल बयान तहरीरी को 500/– रूपये खर्चा के साथ न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी सं0 12 को निर्देश दिया जाता है कि वे खर्च की राशि वादी को प्रदान कर उपरोक्त वाद में बयान तहरीरी दाखिल करें।

वाद दिनांक .... को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।